न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र/01/2025

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री धीरज पुत्र स्व. श्री गब्बर, निवासी पंचायत समिति के पास, सेवर भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :—

1—पैरोकार सरकार रसद

2—श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय

दिनांक 16.04.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ सेवर स्थित धीरज कोल्डड्रिंक एण्ड फास्ट फूड, कस्बा सेवर पर पहुँचें। मौके पर फास्ट फूड भण्डार पर 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों से कचौरी एवं समोसे बनाने का कार्य व्यावसायिक भट्टी एवं रेग्यूलेटर, नली व चूल्हे के माध्यम से किया जाना पाया एवं उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक रूप से चूल्हे के रूप में फास्ट फूड भण्डार पर प्रयुक्त किये जा रहे थे। अप्रार्थी के पास 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण वैधता बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यायवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र प्रसाद शर्मा का वकालतनामा एवं जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

वर्गीकरण 4/4/25

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 03.01.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ सेवर स्थित धीरज कोल्डड्रिंक एण्ड फास्ट फूड, कस्बा सेवर पर पहुॅचें। मौके पर दुकान में 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों से कचौरी एवं समोसे बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर व्यावसायिक भट्टी एवं रेग्यूलेटर, नली व चूल्हे से घरेलू गैस सिलेण्डर जुडे पाये गये। इससे स्पष्ट है कि घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक रूप से फास्ट फूड भण्डार पर प्रयुक्त किये जा रहे थे। अप्रार्थी सुपुर्दगार का यह आरोप कि यह गैस सिलेण्डर रसोई से उठाये हैं, गलत है। मौके पर कोई भी उपभोक्ता उपस्थित नहीं था। दुकान पर ही फर्द जप्ती सिलेण्डर बनाई गई तथा उपस्थित मौतविरान के हस्ताक्षर कराये गये हैं। पैरोकार रसद का कहना है कि सुपुर्दगार द्वारा बाद की सोच के तहत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश किये गये हैं जो काबिल खारिज के रहते है। अप्रार्थी के पास से जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण वैधता बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यायवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाब में अंकित कथनों को दौहराते हुये बताया कि अप्रार्थी कोई फास्ट फूड भण्डार कचौडी, समौसा बनाने का कोई कार्य अथवा कारोबार नहीं करता है। प्रार्थी के घर पर भारत गैस का कनेक्शन प्रार्थी की मॉ सुनीता के नाम से है जो रसोई में लगा हुआ था तथा एक सिलेण्डर प्रार्थी के मित्र योगेन्द्र सिहं की पत्नी आदेश सिहं का भरा हुआ रखा था। योगेन्द्र सिहं दिनांक 31.12.2024 को दण्डवती परिक्रमा देने गया था जो जल्दबाजी में अपने भरे हुये सिलेण्डर को मेरे घर रख कर गया था। दिनांक 3.1.2025 को रसद विभाग के कर्मचारियों ने प्रार्थी की रसोई में रखे हुये सिलेण्डर एवं योगेन्द्र सिहं के शील्ड हालत में रखे हुये सिलेण्डर को अवैध व अनाधिकार तरीके से जबरन उठाकर जप्त किया गया है। प्रार्थी के पास कोई व्यावसायिक भट्टी नहीं है ना ही प्रार्थी कोई कचौडी समौसा बेचने का कार्य करता है। रसद विभाग के कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही अवैध अनाधिकार एवं अपने पद व शक्तियों का दुरूपयोग है। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए ई.सी.एक्ट में की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथमतः सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। सुपुर्दगार ने अपने प्रार्थना पत्र में ये कथन करना कि जॉच दल द्वारा रसोई से गैस सिलेण्डर जप्त किये हैं तथा एक गैस सिलेण्डर पूर्ण भरा हुआ शील्ड होना बताया गया है

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जॉच दल द्वारा मौके पर सिलेण्डरों की फर्द जप्ती बनाई गई है। जिसमें 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गये हैं। जिसमें से क्रमशः एक में 10 किग्रा गैस एवं दूसरे में 4 किग्रा गैस पाई गई है। इससे प्रार्थी सुपुर्दगार का यह कहना कि जॉच दल द्वारा शील्ड सिलेण्डर भरे हुये जप्त किये गये हैं स्वीकार योग्य नहीं है। फर्द जप्ती पर जॉच दल के अलावा गवाहान के साथ अप्रार्थी धीरज पुत्र गब्बर के भी हस्ताक्षर होना यह स्पष्ट करता है कि जॉच दल द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह सही है। अप्रार्थी ने कोई भी ऐतराज दर्ज नहीं कराया है। सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र बाद की सोच के तहत पेश किये गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाते है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों को कचौरी एवं समोसे बनाने में वाणिज्यिक उपयोग में ले रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यायवसायिक दुरूपयोग, द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात (Confiscate) किये जाते है। जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा कराने तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने की आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर को दी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर